न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग), पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्री राधेश्याम (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः– 14 / 2020

दायरा दिनांक :– 20.10.2020

अपीलार्थीः–

1. गिरधारी पुत्र धीसारामजी मेघवाल उम्र 48 वर्ष जाति मेघवाल निवासी घाणेराव तहसील देसूरी जिला पाली (राज.)

बनाम

रेस्पोडेन्टः–

1. चिराग पुत्र महेन्द्र परमार जाति जैन
2. निखिल पुत्र राजेश परमार जाति जैन
3. पारस पुत्र विजय परमार जाति जैन
4. निकेत पुत्र राजेश परमार जाति जैन
5. मितल पुत्र प्रवीण परमार जाति जैन
6. गजराज पुत्र हिराचंद जाति जैन
7. जयन्तिलाल पुत्र हिराचंद जाति जैन
8. रतनबाई पुत्री हिराचंद जाति जैन तमाम निवासी–घाणेराव, तहसील देसूरी जिला पाली (राज.)
9. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार देसूरी।

उपस्थितिः–

1. श्री श्यामजी पंचारिया विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री मो. शफी पठान विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 8 की ओर से
3. श्री सुरेन्द्र सिंह लाबाना, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट् संख्या 9 की ओर से

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व तहसीलदार देसूरी के राजस्व विविध प्र.सं. 08 / 2020 में पारित आदेश दिनांक 30.09.2020 को निरस्त करने बाबत्।

–:निर्णयः– दिनांकः 10/3/2022

1. अपीलाण्ट द्वारा उक्त अपील रेस्पोडेण्टस् के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम कि धारा 75 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी ने अधिनिस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना–पत्र इस आश्य का पेश किया कि मौजा गांव घाणेराव के पुराने खसरा नम्बर 656, 657 कुल रकबा 30 बिघा 5 बिस्वा (हाल खसरा नम्बर 1899 से 1905 कुल खसरा 7 कुल रकबा 4.83 हैक्टर) की कृषि भूमि टुआ पुत्र धुला कौम भांबी निवासी घाणेराव के कब्जा काश्त की विद्यमन है। संवत् 2012 के पूर्व से ही टुआ के खातेदारी हक अधिकार और कब्जा काश्त में विद्यमान होने से संवत् 2003 से संवत् 2014 की खसरा गिरदावरी से प्रमाणित है। पर्चा लगान नम्बर 223 / 29 और खतौनी बंदोवस्त संवत् 2009 से 28 के खाता संख्या 33 तथा संवत् 2018 के पूर्व की जमाबंदी चौसाला इन्द्राजों की प्रमाणित प्रतिलिपि आदेश के साथ पेश की है।

2. यह है कि प्रार्थी अनुसूचित जाति वर्ग की खातेदारी भूमि के अधिकार अभिलेखों में बिना किसी विधिक आदेश के धारा 19 में ग्राम पंचायत घाणेराव द्वारा उदयसिंह पुत्र कल्याण सिंह राजपूत को खातेदारी देने को आधार बनाकर अनुसूचित जाति वर्ग की भूमि को हड़प करने की नियत से गैर अनुसूचित वर्ग जाति के व्यक्तिके नाम गलत रूपेण इन्द्राज की गई है।

अति. जिला कलेक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

3. यह है कि उदयसिंह, अमरसिंह द्वारा बिना किसी अधिकार के मात्र कागजी दस्तावेज हिराचंद के नाम करवाया गया तब जानकारी श्रीमान् द्वारा धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कार्यवाही सहायक कलक्टर बाली हाल देसूरी में पेश की गई जो विचाराधीन है। जिसमें प्रार्थी को नोटिस दिये जाने पर खातेदारी के नामों की हेराफेरी जानकारी में आने से अपना पक्ष रखे जाने पर माननीय उपखण्ड अधिकारी देसूरी राजस्व अपील अधिकारी पाली निर्णय में प्रार्थी की खातेदारी पूर्व अनुसार दर्ज करने के आदेश दिये गये थे, जिनसी पालना में नामांतरकरण संख्या 1881 दिनांक 26.11.2011 को खोला गया था जो आज भी विचाराधीन है।

4. यह है कि प्रार्थी द्वारा वर्तमान राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त करने पर जानकारी में आया है कि प्रार्थी अनुसूचित जाति वर्ग की आराजी के अधिकार अभिलेखों में धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रकरण विचारधीन रहते, निषेधाज्ञा के चलने और प्रार्थी के पारित नामांतरकरण पूर्व से ही विचाराधीन रहते हुए कानून और विधिक प्रावधानों के विपरित आम मुख्तियार जो बिना अधिकार रहित होते हुए सबरजिस्ट्रार पदेन तहसीलदार देसूरी ने भू-माफिया से मिलकर फर्जी विक्रय पत्र दस्तावेज दिनांक 09.06.2020 के आधार पर विधिविरूद्व तरीके से नामांतरकरण संख्या 3076 दिनांक 23.06.2020 के जरिये भू अधिकारों अभिलेखों में रद्दोबदल कर अनुसूचित जाति वर्ग के खातेदारी की भूमि के हड़प करने और कराने का गंभीर अपराध किया गया है। नामांतरकरण संख्या 3076 दिनांक 23.06.2020 को निरस्त किया जाकर पूर्व नामांतरकरण संख्या 1881 दिनांक को स्वीकृत किया जाकर प्रार्थीगण के नाम भू अधिकारा अभिलेखों में इन्द्राज किये जाना आवश्यक है।

उक्त लिखित आवेदन मय दस्तावेज स्वयं देसूरी को पेश किये जाने पर दिनांक 18.08.2020 को उक्त हलका पटवारी व अन्य राजस्व अधिकारियों के खिलाफ कानूनी नोटिस प्रेषित किया तथा उसी रोज प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया जिनकी और से जरिये अधिवक्ता जवाब पेश किया तथा दोनों पक्षों की बहस सुने जाने के बात अधिनस्थ तहसीलदारजी ने प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करते हुए नामांतरकरण संख्या 3076 दिनांक 23.06.2020 को विलोपित करने का आदेश पारित किया तथा प्रार्थी के पारित नामांतरकरण संख्या 1881 पर कोई आदेश पारित नही कर विधिविरूद्व तरीके से प्रार्थी के प्राप्त अधिकारों के विरूद्व आदेश पारित किया जिसके विरूद्व यह अपील निम्न मुख्य आधारों पर पेश है:-

1. यह है कि अधिनस्थ तहसीलदारजी श्री माधोराम जिनके पास सबरजिस्ट्रार देसूरी का पदस्थापित है उक्त पीठासीन अधिकारी अपने पादिय कर्तव्यों के अधीन कार्य निस्पादित करते है तथा उनके द्वारा सभी राजस्व दस्तावेजो एंव अन्य दस्तावेज के अवलोकन के बाद दस्तावेज निरपादित किये जाते है एंव उसमें न्याय संगत आदेश पारित किये जाते है लेकिन पीठासीन अधिकारी ने विक्रय पत्र दिनांक 09.06.2020 निस्पादित करने से पूर्व उनके द्वारा आम मुख्तियार दस्तावेज दिनांक 19.05.2017 के पेज संख्या 3 को कोई अवलोकन नहीं किया जबकि ग्राम घाणेराव के पुराने खसरा संख्या 656, 657 कुल रकबा 30 बिघा 5 बिस्वा (हाल खसरा संख्या 1899 से 1905 कुल खसरा 7 कुल रकबा 4.83 हैक्टर) की आराजी को बेचान हस्तान्तरण करने हेतु गजराज व हिराचंद के पुत्रों ने कोई आम मुख्तियार दस्तावेज निस्पादित नही किया इस प्रकार विक्रय पत्र दिनांक 09.06.2020 पूर्वतः फर्जी व कुट रचित दस्तावेज है जिसके विरूद्व उक्त पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त सभी लोगो के विरूद्व आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाना आवश्यक एंव न्याय संगत था लेकिन पीठासीन अधिकारी ने कोई विधि संवत् कार्यवाही नही की मात्र प्रार्थी अनुसूचित जाति वर्ग के सदस्यों की आराजी में निहित तमाम हितों की सुरक्षा नही कर उनकी भूमि को विवादित करने का प्रयास किया इस कारण आप पीठासीन अधिकारी

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

द्वारा अपने पदिय कर्तव्य को अधीन फर्जी विक्रय पत्र बनाने के दस्तावेज के समस्त सरकारी व अर्धसरकारी अधिकारी के विरूद्व आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जावें एंव अपने अधिनस्थ को इस आशय का निर्देश प्रदान करावें।

2. यह है कि ग्राम घाणेराव के आराजी टुआ पुत्र धुला कौम भांबी की खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि की उक्त भूमि पर पूर्व में धारा 19 एलआर एक्ट के तहत् ग्राम पंचायत घाणेराव द्वारा उदयसिंह पुत्र कल्याण सिंह के नाम नामांतरकरण दर्ज किया तत्पश्चात् उदयसिंह ने बिना किसी अधिकार के अमर सिंह को बैचान करना बताकर नामांतरण दर्ज करवाया गया उक्त विधिविरूद्व नामांतरण संख्या 271 व 300 की जानकारी होने पर उपखण्ड अधिकारी बाली के न्यायालय में अपील पेश की जिसमें उक्त दोनो नामांतरण निरस्त किये। अमर सिंह ने उक्त भूमि हिराचंद को बैचान कर दी तब हिराचंद ने राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के न्यायालय में आदेश दिनांक 22.07.1976 के अपील पेश की जो अपील 22.04.1978 को खारिज कर दी गई। जब उक्त दोनो नामांतरण संख्या 271 व 300 निरस्त हो जाने के बाद उक्त हिराचंद को किसी भी प्रकार के अधिकार सृजित नही होते थे तब उक्त आदेश दिनांक 22.04.1978 से पुनः टुआ पुत्र धुला भांबी के नाम नामांतरण दर्ज किया जाना आवश्यक एंव न्याय संगत था लेकिन किसी भी राजस्व अधिकारी ने विधि समत कार्यवाही नही कि तथा गरीब अनुसूचित जाति के सदस्य को हेरान व परेशान करने की नियत से तथा उनकी भूमि को हड़पने हेतु उक्त हिराचंद व गजराज ने बिना किसी अधिकार के राजस्ववाद पेश किया तथा 175 आरटी एक्ट की कार्यवाही पेश हुई, जो सभी निरस्त हुए इस प्रकार उक्त सभी तथ्यों की जानकारी राजस्व अधिकारियों को होने पर प्रार्थी खातेदार टुआ के वारिसान के नाम नामांतरण संख्या 1881 पारित किया। उक्त नामांतरण की कार्यवाही विधिनुसार संचालित होते हुए उस पर तहसीलदार देसूरी द्वारा कोई न्याय संगत आदेश पारित नही किया जो कार्यवाही उनके समक्ष विचाराधीन रही उक्त कार्यवाही के विचाराधीन रहते एंव उस पर कोई प्रभावी आदेश पारित नही होने से हिराचंद, गजराज जैन सभी ने भू–माफिया लोगो से षड़यंत्र कर दिनांक 19.05.2017 को एक आम मुख्तियार दस्तावेज तैयार किया जिसके पेज संख्या 03 पर यह उल्लेख किया गया कि **उक्त उपरोक्त आराजी कृषि भूमि के संबंध में न्यायालय से निर्णय होने पर हमारी खातेदारी रहने की स्थिति में हमारी उक्त आराजी को आप मुख्तियार की हेसियत से इकरार, विक्रय, हस्तान्तरण आदि करे** उक्त स्थिति में आम मुख्तियारकर्ता ने विजय कुमार वगरह को उक्त भूमि के संबंध में समस्त उल्लेख आम मुख्तियार में उल्लेखित किये उक्त आम मुख्तियार अनुसार विक्रय पत्र दिनांक 18.03.2020 कतई सबरजिस्ट्रार द्वारा निस्पादित किये जाने योग्य नही था। चूंकि सबरजिस्ट्रार को सभी प्रक्रिया व दस्तावेजों का उल्लेख किया जाना एंव उसका अवलोकन किया जाना आवश्यक था लेकिन पीठासीन अधिकारी ने एंव उसके अधीनस्थ सभी कर्मचारियों ने षड़यंत्र कर पूर्व न्योजित तरीके से प्रार्थी की भूमि को विवादित करने की नियत से उक्त विक्रय पत्र दस्तावेज बिना किसी अधिकार के तैयार किया तथा उक्त दस्तावेज से नामांतरण 3076 दर्ज किये जाने योग्य होते हुए उन्होने विधिविरूद्व तरीके से नामांतरण दर्ज किया तथा प्रार्थी उक्त षड़यंत्र की व फर्जी दस्तावेज की जानकारी अधिनस्थ तहसीलदार देसूरी को कराये जाने पर उन्होने नामांकन संख्या 3076 को निरस्त कर दिया तथा प्रार्थी के पक्ष में पारित नामांतरण संख्या 1881 पर किसी भी रूप से आदेश पारित करने हेतु विवेचन नही किया जबकि एक ही भूमि के संबध में प्रकरण उक्त पीठासीन अधिकारी के समक्ष विचाराधीन होने के संबंध में उनके द्वारा न्याय संगत आदेश प्रार्थी के आवेदन पर पारित किया जाना था लेकिन पीठासीन अधिकारी ने मात्र अपने व अपने अधिनस्थों के द्वारा किये गये अपराध से बचने की नियत से उक्त नामांतरण संख्या 3076 को विलोपित कर दिय तथा नामांकन संख्या 1881 पर कोई आदेश पारित करने हेतु आदेश दिनांक 30.09.2020 में कोई विधि समत विवेचन नहीं

अति [illegible] (...)
पाली (राज)

किया इस प्रकार पीठासीन अधिकारी ने विधि व प्रक्रिया के विरूद्व प्रार्थी अनुसूचित जाति के सदस्य को न्याय से वंचित करने हेतु अपीलाधीन आदेश पारित किया जबकि पीठासीन अधिकारी को नामांकन संख्या 1881 जो टुआ के वारिसान के नाम पारित किये जाने हेतु दर्ज किया। जिस पर प्रक्रिया अनुसार उस पर न्यास संगत आदेश पारित किया जाना था लेकिन पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने पदेय कर्त्तव्यों के अधीन आदेश पारित नही कर विधि विरूद्व भूल कि गई, जिस हेतु आदेश दिनांक 30.09.2020 के विरूद्व यह अपील श्रीमान्जी के समक्ष पेश की जा रही है।

3. यह है कि राजस्थान भू अधिनियम की विधिक प्रक्रिया अनुसार प्रर्दत शक्तियों को प्रयोग करते हुये किसी भी राजस्व पीठासीन अधिकारी को अपने आदेश को विलोपित करने व पुर्नविलोकन करने का क्षेत्राधिकार अपने जानकारी होने पर यह किसी हितबद्व पक्षकार के आवेदन पर करने का अधिकार प्रर्दत है। उक्त प्रार्थी की भूमि के संबंध में पीठासीन अधिकारी को यह जानकारी में था कि टुआ के वारिसान के नाम नामांकन संख्या 1881 पारित किया हुआ है, जिस पर तहसीलदार देसूरी द्वारा अपने पदेय कर्त्तव्यों के अधीन तथा ग्राम पंचायत को 45 दिन की प्रक्रिया के अधीन पारित करने का समय प्रदान करने के पश्चात् उक्त पीठासीन अधिकारी को ऐसे नामांतरण पर आदेश पारित किया जाना था लेकिन पीठासीन अधिकारी ने नामांतरण संख्या 1881 पर जानबूझकर आदेश पारित नही किया। जबकि प्रार्थी द्वारा पेश लिखित आवेदन दिनांक 18.08.2020 में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि नामांतरण संख्या 3076 को निरस्त किया जाकर पूर्व में दर्ज नामांतरण संख्या 1881 दिनांक 26.11.2011 जो हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरक्षक द्वारा पूर्व राजस्व अधिकारियों के आदेश से दर्ज होने के बावजूद उस पर कोई आदेश पारित करने हेतु अपने निर्णय दिनांक 30.09.2020 में उल्लेखित नही किया। इस कारण नामाकंन संख्या 1881 दिनांक 26.11.2011 के संबध में जो निर्णय दिनांक 30.09.2020 में अधिनस्थ पीठासीन अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित नही करने से उस पर न्याय संगत आदेश पारित करने हेतु यह अपील श्रीमान्जी के समक्ष तत्काल पेश की जा रही है।

4. यह है कि प्रार्थी अनुसूचित जाति का सदस्य है जिसकी उक्त आराजी खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है जिसके संबंध में पूर्व में नामांकन संख्या 271 व 300 निरस्त होने के बावजूद तथा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के निर्णय दिनांक 22.04.1978 से निरन्तर प्रार्थी अपनी कृषि भूमि को अपने नाम दर्ज कराने हेतु न्यायालय में आज दिनांक तक चक्कर काट रहा है, जबकि न्यायालय द्वारा उक्त नामांकन संख्या 271 व 300 निरस्त हो जाने के बावजूद उक्त हिराचंद व गजराज को अनुसूचित जाति के सदस्य की भूमि पर कोई दस्तावेज निस्पादित कर देने से उसे कोई अधिकार किसी भी रूप से सृजित नही होते हुये एंव उक्त विधि व प्रक्रिया की जानकारी समस्त राजस्व अधिकारीयों को होने के बावजूद प्रार्थी वर्ष 1976 से आज दिनांक तक अपनी भूमि को अपने नाम दर्ज कराने हेतु चक्कर काट रहा है। जिसने अपना पूरा जीवन व जीवनभर की कमाई कचहरीयों व पुलिस में समर्पित कर दी जिससे सैकड़ो रूपये की आर्थिक क्षति हुई जिसका अवलोकन किया जाना संभव नही है इस कारण पूर्व पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थी के वारिसान के नाम नामांकन संख्या 1881 दिनांक 26.11.2011 जो पिछले 9 वर्षो से बिना किसी कारण के राजस्व अधिकारीयों ने लम्बित कर रखा है, जिस पर कोई न्याय संगत आदेश पारित नही किया है, जिसके संबंध में प्रकरण संख्या 08/2020 ने पीठासीन अधिकारी को जानकारी कराये जाने के बावजूद उनके द्वारा निम्न दिनांक 30.09.2020 में कोई आदेश पारित नही किया। इस कारण आदेश दिनांक 30.9.2020 की पत्रावली तलब करते हुये अधिनस्थ तहसीलदारजी को इस आश्य का आदेश व निर्देश

अति जिला कलक्टर (सीनि.)
पाली (राज.)

प्रदान करावे कि अधिनस्थ तहसीलदारजी नामाकंन संख्या 1881 पर न्याय संगत आदेश पारित करावें।

5. यह है कि अन्य आधार बर वक्त बहस अर्ज किये जायेगें।

6. यह है कि अपील श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

7. यह है कि अपील निर्णय दिनांक 30.09.2020 से अन्दर अवधि पेश है।

8. यह है कि अपील निर्धारित कोर्ट फिस स्टाम्प पर पेश है तथा रेस्पोडेन्ट के समन तलबना पेश है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 30.09.2020 को आंशिक निरस्त करते हुये अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड फरमाई जावें कि ग्राम घाणेराव के पुराने खसरा संख्या 656, 657 कुल रकबा 30 बिघा 5 बिस्वा (हाल खसरा संख्या 1899 से 1905 कुल खसरा 7 कुल रकबा 4.83 हैक्टर) की भूमि के संबध में पूर्व फर्जी दर्ज नामांतरण संख्या 271 व 300 विधिविरूद्व होने से एंव उक्त नामांतरण व उसमें पारित आदेश निरस्त हो जाने से पूर्व खातेदार टुआ पुत्र धुला कौम भांबी के वारिसान के नाम दर्ज नामांतरण संख्या 1881 दिनांक 26.11.2011 से विचाराधीन है उस पर विधि समत आदेश पारित करे। इसी निर्देश के साथ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रर्दत शक्तियों के अधीन नये सीरे से निर्णय पारित करे उपरोक्तानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावें।

9. अपील दर्ज रजीस्टर कर रेस्पोडेण्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया। अधिनस्थ न्यायालय से मूल रेकर्ड तलब किया गया।

10. रेस्पोडेण्टस् संख्या 01 से 08 की ओर से अधिवक्ता श्री मो. शफी पठान व रेस्पोडेण्टस् संख्या 09 की ओर से राजकिय अधिवक्ता उपस्थित।

11. बहस उभयपक्ष सूनी गई।

12. वकील अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मिमो में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया की मौजा गांव घाणेराव के पुराने खसरा नम्बर 656, 657 कुल रकबा 30 बिघा 5 बिस्वा (हाल खसरा नम्बर 1899 से 1905 कुल खसरा 7 कुल रकबा 4.83 हैक्टर) की कृषि भूमि टुआ पुत्र धुला कौम भांबी निवासी घाणेराव के संवत् 2012 के पूर्व से ही खातेदारी हक अधिकार और कब्जा काश्त में विद्यमान हैं जो संवत् 2003 से संवत् 2014 की खसरा गिरदावरी एवं जमाबंदि से प्रमाणित है।

ग्राम पंचायत गाणेराव द्वारा अपने क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर उक्त अनुसूचित जाति वर्ग की कृषि भूमि का बिना किसी विधिक आदेश के धारा 19 एलआर एक्ट के तहत् उदयसिंह पुत्र कल्याण सिंह के नाम नामांतरकरण दर्ज कर राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 42 का स्पष्ट उलंगन किया हैं। तत्पश्चात् उदयसिंह द्वारा लोकनीति के विरूद्ध जाकर उक्त कृषि भूमि अमर सिंह को बैचान करना बताकर नामांतरण दर्ज करवाया गया।

उक्त विधिविरूद्व किये गये नामांतरकरण संख्या 271 व 300 की जानकारी अपीलांट के पूर्वजों को होने पर उनके द्वारा उपखण्ड अधिकारी बाली के न्यायालय में अपील पेश की जिसमें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा प्रकरण संख्या 11/1976 में पारित निर्णय दिनांक 22.07.1976 के अनुसार उक्त दोनो नामांतरकरण निरस्त किये। तत्पश्चात

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

भी अमर सिंह ने लोकनीति के विरूद्ध जाकर कुटरचित तरिके से उक्त भूमि हिराचंद को बैचान कर दी जो बैचान प्रथम दृष्टया प्रभावशुन्य हैं।

तत्पश्चात हिराचंद ने उपखण्ड अधिकारी बाली के निर्णय दिनांक 22.07.1976 के विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के न्यायालय में अपील पेश की जिस पर माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 22.04.78 अनुसार हिराचंद द्वारा प्रस्तुत अपील ना–मंजूर की जाकर उपखण्ड अधिकारी बाली के निर्णय दिनांक 22.7.1976 को बहाल रखा गया। जब हिराचंद द्वारा प्रस्तुत अपील ना–मंजूर हो जाने व उक्त दोनो नामांतरण संख्या 271 व 300 निरस्त हो जाने के बाद हिराचंद को किसी भी प्रकार के अधिकार सृजित नही होते थे तब पुनः टुआ पुत्र धुला भांबी के नाम नामांतरण दर्ज किया जाना आवश्यक एंव न्याय संगत था लेकिन किसी भी राजस्व अधिकारी ने विधि सगत कार्यवाही नही की।

यह हैं कि गरीब अनुसूचित जाति के सदस्य को हेरान व परेशान करने की नियत से तथा उनकी भूमि को हड़पने हेतु उक्त हिराचंद व गजराज ने बिना किसी अधिकार के राजस्ववाद पेश किया तथा 175 आरटी एक्ट की कार्यवाही पेश हुई, जो सभी निरस्त हुए इस प्रकार उक्त सभी तथ्यों की जानकारी राजस्व अधिकारियों को होने पर प्रार्थी खातेदार टुआ के वारिसान के नाम नामांतरण संख्या 1881 पारित किया, लेकिन उक्त नामांतरण की कार्यवाही विधिनुसार संचालित होने के पश्चात भी उस पर तहसीलदार देसूरी द्वारा कोई न्याय संगत आदेश पारित नही कर अपने पदिय कर्तव्यों की अवहेलना की हैं।

उक्त कार्यवाही के विचाराधीन रहते एंव उस पर कोई प्रभावी आदेश पारित नही होने से हिराचंद, गजराज जैन सभी ने भू–माफिया लोगो से षड़यंत्र कर दिनांक 19.05.2017 को बिना किसी अधिकार के लोकनीति के विरूद्ध जाकर एक कूटरचित आम मुख्तियार दस्तावेज तैयार किया जिसके पेज संख्या 03 पर यह उल्लेख किया गया कि <u>उक्त उपरोक्त आराजी कृषि भूमि के संबंध में न्यायालय से निर्णय होने पर हमारी खातेदारी रहने की स्थिति में हमारी उक्त आराजी को आप मुख्तियार की हेसियत से इकरार, विक्रय, हस्तान्तरण आदि करे</u> उक्त स्थिति में आम मुख्तियारकर्ता ने विजय कुमार वगरह को उक्त भूमि के संबंध में समस्त उल्लेख आम मुख्तियार में उल्लेखित किये उक्त आम मुख्तियार अनुसार विक्रय पत्र दिनांक 18.03.2020 कतई सबरजिस्ट्रार द्वारा निस्पादित किये जाने योग्य नही था। चूंकि सबरजिस्ट्रार को सभी प्रक्रिया व दस्तावेजों का उल्लेख किया जाना एंव उसका अवलोकन किया जाना आवश्यक था लेकिन पीठासीन अधिकारी (तहसीलदार देसूरी) ने एंव उसके अधीनस्थ सभी कर्मचारियों ने षड़यंत्र कर पूर्व न्योजित तरीके से प्रार्थी की भूमि को विवादित करने की नियत से उक्त विक्रय पत्र दस्तावेज बिना किसी अधिकार के तैयार किया तथा उक्त दस्तावेज से नामांतरण 3076 दर्ज किये जाने योग्य न होते हुए उन्होने विधिविरूद्व तरीके से नामांतरकरण 3076 दिनांक 30.6.20 दर्ज किया।

यह हैं कि अपीलांट को उक्त षड़यंत्र व फर्जी नामांतरकरण 3076 की जानकारी होने पर अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार देसूरी के समक्ष दिनांक 18.8.20 को प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त नामान्तरकरण संख्या 3076 निरस्त कर अपने वारीसान नामान्तरकरण संख्या 1881 को स्वीकृत कराने का निवेदन किया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार देसूरी द्वारा धारा 86 (2) के तहत् प्रकरण दर्ज कर अपने आदेश दिनांक 30.9.2020 के अनुसरण में नामांतरकरण संख्या 3076 में दिनांक 23.6.20 को दिये गये आदेश रिव्यू किया जाकर नामांतरकरण संख्या 3076 को तो अस्विकृत कर दिया लेकिन अपीलांट के विरासत व फौतेदगी नामांतरकरण संख्या 1881 को स्वीकृत नहीं

अति जिला कलेक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

करने की भूल की हैं। जबकि एक ही भूमि के संबध में प्रकरण उक्त पीठासीन अधिकारी (तहसीलदार देसूरी) के समक्ष विचाराधीन होने के संबंध में उनके द्वारा न्याय संगत आदेश प्रार्थी के आवेदन पर पारित किया जाना था लेकिन पीठासीन अधिकारी (तहसीलदार देसूरी) ने मात्र अपने व अपने अधिनस्थों के द्वारा किये गये अपराध से बचने की नियत से उक्त नामांतरण संख्या 3076 को विलोपित कर दिया तथा नामांकन संख्या 1881 पर कोई आदेश पारित करने हेतु आदेश दिनांक 30.09.2020 में कोई विधि समत विवेचन नहीं किया इस प्रकार पीठासीन अधिकारी (तहसीलदार देसूरी) ने विधि व प्रक्रिया के विरूद्व अपीलांट अनुसूचित जाति के सदस्य को न्याय से वंचित करने हेतु अपीलाधीन आदेश पारित किया जबकि तहसीलदार देसूरी को नामांकन संख्या 1881 जो टुआ के वारिसान के नाम पारित किये जाने हेतु दर्ज किया, जिस पर प्रक्रिया अनुसार उस पर न्यास संगत आदेश पारित किया जाना था लेकिन तहसीलदार देसूरी द्वारा अपने पदेय कर्तव्यों के अधीन आदेश पारित नही कर विधि विरूद्व भूल कि गई।

13. वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान द्वितिय तर्क दिया कि राजस्थान भू अधिनियम की विधिक प्रक्रिया अनुसार प्रर्दत शक्तियों को प्रयोग करते हुये किसी भी राजस्व पीठासीन अधिकारी को अपने आदेश को विलोपित करने व पुर्नविलोकन करने का क्षेत्राधिकार अपने जानकारी होने पर यह किसी हितबद्व पक्षकार के आवेदन पर करने का अधिकार प्रर्दत है। उक्त प्रार्थी की भूमि के संबंध में पीठासीन अधिकारी को यह जानकारी में था कि टुआ के वारिसान के नाम नामांकन संख्या 1881 पारित किया हुआ है, जिस पर तहसीलदार देसूरी द्वारा अपने पदेय कर्त्तव्यों के अधीन तथा ग्राम पंचायत को 45 दिन की प्रक्रिया के अधीन पारित करने का समय प्रदान करने के पश्चात् उक्त तहसीलदार देसूरी को ऐसे नामांतरकरण पर आदेश पारित किया जाना था लेकिन तहसीलदार देसूरी ने नामांतरण संख्या 1881 पर जानबूझकर आदेश पारित नही किया। जबकि प्रार्थी द्वारा पेश लिखित आवेदन दिनांक 18.08.2020 में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि नामांतरण संख्या 3076 को निरस्त किया जाकर पूर्व में दर्ज नामांतरण संख्या 1881 दिनांक 26.11.2011 जो हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरक्षक द्वारा पूर्व राजस्व अधिकारियों के आदेश से दर्ज होने के बावजूद उस पर कोई आदेश पारित करने हेतु अपने निर्णय दिनांक 30.09.2020 में उल्लेखित नही किया।

14. वकील अपीलाण्ट ने तृतिय तर्क दिया कि प्रार्थी अनुसूचित जाति का सदस्य है जिसकी उक्त आराजी खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है जिसके संबंध में पूर्व में नामांकन संख्या 271 व 300 निरस्त होने के बावजूद तथा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के निर्णय दिनांक 22.04.1978 से निरन्तर प्रार्थी अपनी कृषि भूमि को अपने नाम दर्ज कराने हेतु न्यायालय में आज दिनांक तक चक्कर काट रहा है, जबकि न्यायालय द्वारा उक्त नामांकन संख्या 271 व 300 निरस्त हो जाने के बावजूद उक्त हिराचंद व गजराज को अनुसूचित जाति के सदस्य की भूमि पर कोई दस्तावेज निस्पादित कर देने से उसे कोई अधिकार किसी भी रूप से सृजित नही होते हुये एंव उक्त विधि व प्रक्रिया की जानकारी समस्त राजस्व अधिकारीयों को होने के बावजूद प्रार्थी वर्ष 1976 से आज दिनांक तक अपनी भूमि को अपने नाम दर्ज कराने हेतु चक्कर काट रहा है। जिसने अपना पूरा जीवन व जीवनभर की कमाई कचहरीयों व पुलिस में समर्पित कर दी जिससे करोड़ो रूपये की आर्थिक क्षति हुई जिसका अवलोकन किया जाना संभव नही है इस कारण पूर्व पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थी के वारिसान के नाम नामांकन संख्या 1881 दिनांक 26.11.2011 जो पिछले 9 वर्षो से बिना किसी कारण के राजस्व अधिकारीयों ने लम्बित कर रखा है, जिस पर कोई न्याय संगत आदेश पारित नही किया है, जिसके संबंध में प्रकरण संख्या 08/2020 मे पीठासीन अधिकारी तहसीलदार देसूरी को जानकारी कराये जाने के बावजूद उनके द्वारा निर्णय दिनांक 30.09.2020 में कोई

अति जिला कलेक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

आदेश पारित नही किया। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रकरण संख्या 08/2020 में पारित आदेश दिनांक 30.9.2020 को आंशिक रूप अपास्त करते हुये अधिनस्थ तहसीलदारजी को इस आशय का आदेश व निर्देश प्रदान करावे कि अधिनस्थ तहसीलदारजी नामाकंन संख्या 1881 पर न्याय संगत आदेश पारित करावें।

15. अन्त में वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 30.09.2020 को आंशिक निरस्त करते हुये अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड फरमाई जावें कि ग्राम घाणेराव के पुराने खसरा संख्या 656, 657 कुल रकबा 30 बिघा 5 बिस्वा (हाल खसरा संख्या 1899 से 1905 कुल खसरा 7 कुल रकबा 4.83 हैक्टर) की भूमि के संबध मे पूर्व फर्जी दर्ज नामांतरण संख्या 271 व 300 विधिविरूद्व होने से एंव उक्त नामांतरण व उसमें पारित आदेश निरस्त हो जाने से पूर्व खातेदार दुआ पुत्र धुला कौम भांबी के वारिसान के नाम दर्ज नामांतरण संख्या 1881 दिनांक 26.11.2011 से विचाराधीन है उस पर विधि समत आदेश पारित करे।

16. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 8 के विद्धान अधिवक्ता ने बहस के दौरान निवेदन किया कि श्री गजराज पुत्र श्री हिराचंद, श्री जयन्तिलाल पुत्र श्री हिराचंद व श्रीमती रतनबाई पुत्री श्री हिराचंद जातिगण जैन निवासीगण घाणेराव द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 5 के पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 202003193100560 दिनांक 19.06.2020 के माध्यम से ग्राम घाणेराव तहसील देसूरी कि खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1899 से 1905 कुल क्षेत्रफल 4.83 हैक्टेयर भूमि का 3/4 हिस्सा विक्रय किया, जिसके संबंध में म्यूटेशन संख्या 3076 दिनांक 30.06.2020 को पारित किया गया। तत्पश्चात अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 18.08.20 को अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार देसूरी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि म्यूटेशन संख्या 3076 दिनांक 30.6.2020 को निरस्त करावें तथा नामांतरकरण संख्या 1881 दिनांक 26.11.2011 को स्वीकृत करावें। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रकरण संख्या 08/2020 में निर्णय दिनांक 30.9.2020 के अनुसार नामांतरकरण संख्या 3076 में दिनांक 23.06.2020 को दिये गये आदेश को रिव्यु किया जाकर नामांतरकरण संख्या 3076 को अस्विकृत किया गया जो विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य हैं। अतः अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रकरण संख्या 08/2020 में पारित निर्णय दिनांक 30.9.2020 को अपास्त कर विधि समत दोनों पक्षों को सुनने के उपरान्त पुनः निर्णय प्रदान करने के आदेश प्रदान करावें।

17. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 8 के विद्धान अधिवक्ता ने द्वितिय तर्क दिया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 6 से 8 द्वारा अपीलाण्ट व अन्य के पक्षकार बनाते हुए उपखण्ड अधिकारी देसूरी के आदेश दिनाक 29.7.2019 के विरूद्ध निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में पेश की जिस पर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निगरानी संख्या 4616/2019 में पारित निर्णय दिनांक 10.02.2022 के अनुसार रेस्पोडेण्ट संख्या 6 से 8 द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिकरूप से स्वीकार की जाकर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 175(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित आदेश 1 नियम 10, 9 सिविल प्रक्रिया संहिता को स्वीकार किया गया हैं। रेस्पोडेण्ट के उक्त कथन के विरूद्ध अपीलाण्ट के विद्धान अधिवक्ता ने तर्क किया की रेस्पोडेण्ट की ओर से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी देसूरी के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 175(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित आदेश 1 नियम 10, 9 सिविल प्रक्रिया के तहत प्रस्तुत किया जिसे श्रीमान उपखण्ड अधिकारी देसूरी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29.7.2019 के अनुसार अस्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध रेस्पोडेण्ट द्वारा उक्त निगरानी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष पेश की गई। जबकि उक्त प्रकरण में

अति जिला कलक्टर (सीनियर)
पाली (राज.)

अपीलाण्ट अपने पूर्वजों की कब्जा काश्त खातेदारी भूमि का नामान्तरकरण 1881 जो पिछले कई वर्षो से लम्बित पड़ा हैं को स्वीकृत करने का निवेदन कर रहा हैं, जो अपीलाण्ट का पूर्ण अधिकार हैं तथा प्रकरण गुणावगुण के आधार पर भी अपीलाण्ट के पक्ष में हैं। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने भी उक्त निगरानी में अपने निर्णय दिनांक 10.02.2022 में यह स्पष्ट उल्लेख किया हैं कि इस प्रार्थना पत्र के स्वीकार करने के आधार पर प्रकरण के गुणावगुण पर निर्णय करने में किसी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

18. रेस्पोडेण्ट संख्या 9 की ओर से राजकिय अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान निवेदन किया अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार देसूरी द्वारा अपने प्रकरण संख्या 08/2020 मे कानूनन व विधि समत प्रक्रिया अपनाते हुए दिनांक 30.9.2020 को निर्णय पारित किया हैं, जो कानूनन सही हैं।

19. न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। **संवत् 2003 से संवत् 2014 की खसरा गिरदावरी व जमाबंदी से प्रमाणित होता हैं कि मौजा गांव घाणेराव के पुराने खसरा नम्बर 656, 657 कुल रकबा 30 बिघा 5 बिस्वा (हाल खसरा नम्बर 1899 से 1905 कुल खसरा 7 कुल रकबा 4.83 हैक्टर) की कृषि भूमि पर संवत 2012 के पूर्व से ही टुआ पुत्र धुला कौम भांबी निवासी घाणेराव के खातेदारी हक अधिकार और कब्जा काश्त विद्यमान हैं।** इससे सिद्ध होता हैं कि उक्त भूमि अपीलाण्ट के पूर्वजों की खातेदारी भूमि थी तथा अपीलाण्ट अनुसूचित जाति वर्ग का हैं।

20. **ग्राम पंचायत घाणेराव द्वारा अपने क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर उक्त अनुसूचित जाति वर्ग की कृषि भूमि का बिना किसी विधिक आदेश के धारा 19 एलआर एक्ट के तहत् उदयसिंह पुत्र** कल्याण सिंह के नाम नामांतरकरण दर्ज कर **राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 42 का स्पष्ट उलंगन किया हैं।**

21. तत्पश्चात् उदयसिंह द्वारा लोकनीति के विरूद्ध जाकर उक्त कृषि भूमि अमर सिंह को बैचान करना बताकर नामांतरण दर्ज करवाया गया। **उक्त विधिविरूद्ध किये गये नामांतरकरण संख्या 271 व 300 की जानकारी अपीलांट के पूर्वजों को होने पर उनके द्वारा उपखण्ड अधिकारी बाली के न्यायालय में अपील पेश की जिसमें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा प्रकरण संख्या 11/1976 में पारित निर्णय दिनांक 22.07.1976 के अनुसार उक्त दोनो नामांतरकरण निरस्त किये।** तत्पश्चात भी अमर सिंह ने लोकनीति के विरूद्ध जाकर कुटरचित तरिके से उक्त भूमि हिराचंद को बैचान कर दी जो बैचान प्रथम दृष्टया प्रभावशुन्य हैं।

22. हिराचंद ने उपखण्ड अधिकारी बाली के निर्णय दिनांक 22.07.1976 के विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के न्यायालय में अपील पेश की जिस पर माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 22.04.78 अनुसार हिराचंद द्वारा प्रस्तुत अपील ना–मंजूर की जाकर उपखण्ड अधिकारी बाली के निर्णय दिनांक 22.7.1976 को बहाल रखा गया। जब हिराचंद द्वारा प्रस्तुत अपील ना–मंजूर हो जाने व उक्त दोनो नामांतरण संख्या 271 व 300 निरस्त हो जाने के बाद हिराचंद को किसी भी प्रकार के अधिकार सृजित नही होते थे तब पुनः टुआ पुत्र धुला भांबी के नाम नामांतरण दर्ज किया जाना आवश्यक एंव न्याय संगत था लेकिन अधिनस्थ न्यायायल ने विधि समत कार्यवाही नही कर अपने पदेय कर्तव्यों की अवहेलना की हैं।

अति जिला कलक्टर (सीनि.)
पाली (राज.)

23. उक्त कार्यवाही के विचाराधीन रहते एंव उस पर कोई प्रभावी आदेश पारित नही होने से हिराचंद, गजराज जैन सभी ने भू–माफिया लोगो से षड़यंत्र कर दिनांक 19.05.2017 को बिना किसी अधिकार के लोकनीति के विरूद्ध जाकर एक कूटरचित आम मुख्तियार दस्तावेज तैयार किया जिसके पेज संख्या 03 पर यह उल्लेख किया गया कि उक्त उपरोक्त आराजी कृषि भूमि के संबंध में न्यायालय से निर्णय होने पर हमारी खातेदारी रहने की स्थिति में हमारी उक्त आराजी को आप मुख्तियार की हेसियत से इकरार, विक्रय, हस्तान्तरण आदि करे उक्त स्थिति में आम मुख्तियारकर्ता ने विजय कुमार वगरह को उक्त भूमि के संबंध में समस्त उल्लेख आम मुख्तियार में उल्लेखित किये उक्त आम मुख्तियार अनुसार विक्रय पत्र दिनांक 18.03.2020 कतई सबरजिस्ट्रार द्वारा निस्पादित किये जाने योग्य नही था। चूंकि सबरजिस्ट्रार को सभी प्रक्रिया व दस्तावेजों का उल्लेख किया जाना एंव उसका अवलोकन किया जाना आवश्यक था लेकिन पीठासीन अधिकारी (तहसीलदार देसूरी) ने एंव उसके अधीनस्थ सभी कर्मचारियों ने षड़यंत्र कर पूर्व न्योजित तरीके से प्रार्थी की भूमि को विवादित करने की नियत से उक्त विक्रय पत्र दस्तावेज बिना किसी अधिकार के तैयार किया तथा उक्त दस्तावेज से नामांतरण 3076 दर्ज किये जाने योग्य न होते हुए उन्होने विधिविरूद्व तरीके से नामांतरकरण 3076 दिनांक 30.6.20 दर्ज किया।

24. तत्पश्चात अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 18.08.2020 को अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार देसूरी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नामान्तरकरण संख्या 3076 दिनांक 23.06.2020 को निरस्त करने तथा नामातंरकरण संख्या 1881 दिनांक 26.11.2011 को स्वीकृत करने का निवेदन किया। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार देसूरी द्वारा धारा 86(2) के तहत प्रकरण संख्या 08/2020 दर्ज कर निर्णय दिनांक 30.9.2020 के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 3076 दिनांक 23.6.2020 को दिये गये आदेश को रिव्यू किया जाकर नामांतरकरण संख्या 3076 को अस्विकृत किया गया। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रकरण संख्या 08/2020 में पारित निर्णय दिनांक 30.9.2020 में नामातंरकरण संख्या 1881 दिनांक 26.11.2011 जो पिछले कई वर्षों से लम्बित हैं उस संबंध में कोई निर्णय नहीं दिये जाने की भूल की हैं।

25. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार देसूरी के आदेश दिनांक 30.09.2020 को आंशिकरूप से अपास्त करते हुये अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार देसूरी को पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित कि जाती हैं कि ग्राम घाणेराव के पुराने खसरा संख्या 656, 657 कुल रकबा 30 बिघा 5 बिस्वा (हाल खसरा संख्या 1899 से 1905 कुल खसरा 7 कुल रकबा 4.83 हैक्टर) की भूमि जिस पर संवत 2012 के पूर्व से ही अपीलांट के दादा दुआ पुत्र धुला कौम भांबी निवासी घाणेराव के खातेदारी हक अधिकार और कब्जा काश्त विद्यमान हैं तथा उक्त भूमि के संबध में पूर्व में दर्ज नामांतरकरण संख्या 271 व 300 तथा 3076 विधिविरूद्व होने से एंव उक्त नामांतरकरण व उसमें पारित आदेश अपास्त हो जाने से पूर्व खातेदार दुआ पुत्र धुला कौम भांबी के वारिसान के नाम दर्ज नामांतरण संख्या 1881 जो दिनांक 26.11.2011 से विचाराधीन है उस पर विधि समत आदेश पारित करे। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड आदेश की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

यह आदेश आज दिनांक 10/3/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)